

- (c) भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल (आईआरएमएम) वॉल्यूम के पैरा 534 में वर्णित अनुसार पूर्व सैनिकों के लिए मेडिकल मानक अलग-अलग हैं, जिसे www.Indianrailways.gov.in पर एक्सेस किया जा सकता है।
- (d) उम्मीदवारों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि एएलपी के पद के लिए कड़े चिकित्सा मानक हैं। इसलिए, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी फिटनेस - दृष्टि और शारीरिक मानकों दोनों के संदर्भ में - ऊपर बताए गए मेडिकल मैनुअल में वर्णित निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार है।

4.0 राष्ट्रीयता/नागरिकता:

a) एक उम्मीदवार को या तो होना चाहिए:

(i) भारत का नागरिक, या

(ii) नेपाल का नागरिक, या

(iii) भूटान का व्यक्ति (subject of Bhutan), या

(iv) एक तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से 01.01.1962 से पहले भारत आया था, या

(v) भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, ज़ैरे, इथियोपिया और वियतनाम से आया हो।

vi) बशर्ते कि उपरोक्त श्रेणियों (ii), (iii), (iv) और (v) से संबंधित उम्मीदवार वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

b) जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक है, उसे अनंतिम रूप से परीक्षा में शामिल किया जा सकता है। हालाँकि, भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता प्रमाणपत्र दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।

5.0 आयु सीमा (01.07.2024 को): 18 से 30 वर्ष

5.1 नीचे दी गई तालिका में निम्नलिखित श्रेणियों/समुदायों के लिए ऊपरी आयु सीमा/अधिकतम ऊपरी आयु में आयु में छूट अपेक्षित प्रमाणपत्र जमा करने के पर लागू है।

क्रम संख्या	समुदाय/श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा में छूट / अधिकतम ऊपरी आयु	
1	SC & ST उम्मीदवार	5 साल	
2	OBC (Non-Creamy Layer) उम्मीदवार	3 साल	
3	Ex-servicemen अभ्यर्थी जिन्होंने सत्यापन के बाद छह महीने से अधिक की सेवा पूरी कर ली हो	Ex-servicemen (UR & EWS)	3 वर्ष (आयु से सेवा की अवधि घटाने के बाद)
		Ex-servicemen (OBC-NCL)	6 वर्ष (आयु से सेवा की अवधि घटाने के बाद)
		Ex-servicemen (SC & ST)	8 वर्ष (आयु से सेवा की अवधि घटाने के बाद)
4	वे अभ्यर्थी जो रेलवे में ग्रुप 'सी' और पूर्व ग्रुप 'डी' रेलवे स्टाफ में न्यूनतम 3 साल की सेवा के साथ-साथ निरंतर या अलग-अलग समय में न्यूनतम 3 साल की सेवा के साथ सेवारत हैं।	UR & EWS	40 साल की उम्र
		OBC (NCL)	43 साल की उम्र
		SC & ST	45 साल की उम्र

5	उम्मीदवार जो रेलवे संगठन के अर्ध-प्रशासनिक कार्यालयों जैसे रेलवे कैंटीन, सहकारी समितियों और संस्थानों में काम कर रहे हैं		प्रदान की गई सेवा की अवधि तक या 5 वर्ष, जो भी कम हो.
6	महिला उम्मीदवार, जो विधवा हैं, तलाकशुदा हैं या न्यायिक रूप से पति से अलग हैं लेकिन पुनर्विवाह नहीं किया है।	UR & EWS	35 साल की उम्र
		OBC (NCL)	38 साल की उम्र
		SC & ST	40 साल की उम्र
7	कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिस जो उस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं जिसके लिए न्यूनतम योग्यता आईटीआई/कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप है।		प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत उनके द्वारा किए गए प्रशिक्षु प्रशिक्षण की सीमा तक छूट दी जाएगी।
8	वे अभ्यर्थी जो 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले, प्रशिक्षुता अधिनियम के तहत पाठ्यक्रम पूर्ण अधिनियम प्रशिक्षु बन गए हैं	UR & EWS	35 साल की उम्र
		OBC (NCL)	38 साल की उम्र
		SC & ST	40 साल की उम्र

5.2 उम्मीदवारों की जन्म तिथि नीचे दी गई तिथियों के बीच होनी चाहिए: (दोनों तिथियां सम्मिलित)

आयु वर्ग (वर्षों में)	जन्मतिथि की ऊपरी सीमा (इससे पहले नहीं)			जन्मतिथि की निचली सीमा (बाद में नहीं)
	UR & EWS	OBC (NCL)	SC & ST	सभी उम्मीदवार
18 – 30	02.07.1994	02.07.1991	02.07.1989	01.07.2006
i) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक आधार पर आयु में छूट के लिए पात्र है, तो उसे उन सभी छूटों में से अधिकतम छूट मिलेगी जिसके लिए वह पात्र है (संचयी नहीं)। ii) यूआर रिक्तियों के खिलाफ आवेदन करने वाले एससी, एसटी और ओबीसी (एनसीएल) उम्मीदवारों को आयु में कोई छूट नहीं मिलेगी। iii) पूर्वएसएम उम्मीदवारों को आयु में छूट उपरोक्त पैरा 5.1 के अनुसार दी जाएगी।				

महत्वपूर्ण: उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि उनके आवेदन में भरी गई जन्मतिथि वही होनी चाहिए जो उनके मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज है। जन्मतिथि में बदलाव के किसी भी बाद के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। जन्मतिथि में कोई भी अंतर होने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

6.0 आवश्यक योग्यताएं:

- आवश्यक योग्यताओं की सूची अनुलग्नक-ए में दी गई है।
- ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (यानी, 19.02.2024) तक उम्मीदवारों के पास पहले से ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से निर्धारित शैक्षिक/तकनीकी योग्यता होनी चाहिए।
- निर्धारित शैक्षिक/तकनीकी योग्यता की अपनी अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को आवेदन नहीं करना चाहिए।

7.0 परीक्षा शुल्क (EXAMINATION FEE): उम्मीदवारों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अपने समुदाय/श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा:

क्रम संख्या	अभ्यर्थियों की श्रेणियाँ/समुदाय	शुल्क (Fee)
1	सभी उम्मीदवारों के लिए (क्रम संख्या 2 पर नीचे उल्लिखित श्रेणियों को छोड़कर)। प्रथम चरण CBT में उपस्थित होने पर 500/- रुपये के इस शुल्क में से 400/- रुपये की राशि बैंक शुल्क काटकर वापस कर दी जाएगी।	500/- रुपये
2	उन उम्मीदवारों के लिए जो SC,ST, Ex-Servicemen, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक या Economically Backward Class (EBC) से संबंधित हैं। (उम्मीदवारों के लिए सावधानी: ईबीसी को ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए) 250/- रुपये का यह शुल्क प्रथम चरण CBT में उपस्थित होने पर, लागू बैंक शुल्कों की कटौती के साथ वापस कर दिया जाएगा।	250/- रुपये
ध्यान दें: केवल CBT-1 में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ऊपर बताए अनुसार उनके परीक्षा शुल्क का रिफंड मिलेगा।		

7.1 शुल्क भुगतान के तरीके:

- केवल इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क भुगतान स्वीकार किया जाएगा। सभी लागू सेवा शुल्क उम्मीदवार द्वारा वहन किए जाएंगे।
- उम्मीदवारों द्वारा शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जा सकता है। किसी अन्य माध्यम से शुल्क का भुगतान करने का कोई विकल्प नहीं होगा।
- निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

7.2 अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी (पारसी) शामिल होंगे, जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (19.02.2024) तक प्राप्त संशोधन/विलोपन/समावेशन, यदि कोई हो, के अधीन होंगे।

'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' के लिए शपथ पत्र: परीक्षा शुल्क की छूट का दावा करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर डीवी के समय अनुलग्नक V के प्रारूप में अपने अल्पसंख्यक समुदाय का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

7.3 Economically backward Class (EBC) के उम्मीदवार वे हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 50,000 रुपये से कम है। और रियायती शुल्क के लिए पात्र हैं (उपरोक्त पैरा 7.0 के अनुसार)। इसके लिए उनके पास होना चाहिए

- जारीकर्ता प्राधिकारी के लेटरहेड पर निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक IV पर) में आवेदन की तिथि पर वैध आय प्रमाण पत्र। निम्नलिखित प्राधिकारी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के उद्देश्य से आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं:

- जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार स्तर तक का कोई अन्य राजस्व अधिकारी
- अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लोकसभा के मौजूदा संसद सदस्य
- उस जिले के व्यक्तियों के लिए राज्य सभा के मौजूदा संसद सदस्य, जहां ये सांसद सामान्य रूप से रहते हैं।
- देश में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति केन्द्रीय मंत्री।

(अथवा)